

मत्स्य निदेशालय,

झारखण्ड, राँची।

सं०सं०-म०नि०-II-उ०यो०-47/2017-18/ 10 (आ०)/मत्स्य/राँची/दिनांक 16.12.2020

प्रेषक,

एच० एन० द्विवेदी,
निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

सहायक मत्स्य निदेशक (तक०)
सह निकासी एवं व्ययन पदा०,
मत्स्य निदेशालय, राँची।

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग सं०-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग), मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/उप शीर्ष-48-झास्कोफिश को अनुदान योजना अंतर्गत मो० 10,00,000/- (दस लाख) रु० मात्र के निधि का आवंटन।

प्रसंग- स्वीकृत्यादेश सं० 24 रा० (विभाग) दिनांक 24.11.2020 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं० 1265, आवंटन सं० 42 आ० (विभाग) दिनांक 15.12.2020 एवं ऑनलाईन आवंटन सं०-2325, 2326 एवं 2328।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2020-21 में मांग सं०-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग), मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन/उप शीर्ष-48-झास्कोफिश को अनुदान योजना अंतर्गत मो० 10,00,000/- (दस लाख) रु० मात्र संलग्न विवरणी के अनुरूप स्वीकृत्यादेश सं० 24 रा० (विभाग) दिनांक 24.11.2020 एवं ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश सं० 1265, आवंटन सं० 42 आ० (विभाग) दिनांक 15.12.2020 एवं ऑनलाईन आवंटन सं०-2325, 2326 एवं 2328 के आलोक में निधि का आवंटन किया जाता है। यह आवंटन राज्यादेश द्वारा स्वीकृत मो० 10.00 लाख (दस लाख) रु० मात्र के विरुद्ध आवंटित है।

2. उपर्युक्त आवंटन योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक 239/बजट, दिनांक 30.03.2020 के आलोक में शत-प्रतिशत अधिसीमा अंतर्गत निम्न लघु शीर्षों में दिया जा रहा है।

3. स्वीकृत्यादेश के कंडिका-7 के आलोक में पूर्ण राशि की निकासी एक मुस्त में करते हुए प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश के पी० एल० खाते में हस्तांतरित किया जाएगा।

4. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-101- अन्तर्देशीय मछली पालन/उप शीर्ष-48-झास्कोफिश को अनुदान योजना अंतर्गत निधि का आवंटन:

क्र०	स्थापना का नाम	आवंटित राशि
		06-अनुदान-48-अंशदान विपत्र कोड- 53S240500101480648
1	निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची	400000
कुल योग :		400000

मो0 चार लाख रु0 मात्र।

5. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-796- जनजातीय क्षेत्र उपयोगना/उप शीर्ष-48-झास्कोफिश को अनुदान योजना अंतर्गत निधि का आवंटन:

क्र०	स्थापना का नाम	आवंटित राशि
		06-अनुदान-48-अंशदान विपत्र कोड- 53S240500796480648
1	निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची	400000
कुल योग :		400000

मो0 चार लाख रु0 मात्र।

6. वित्तीय वर्ष 2020-21 में 2405-मछली पालन/लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना/उप शीर्ष-48-झास्कोफिश को अनुदान योजना अंतर्गत निधि का आवंटन:

क्र०	स्थापना का नाम	आवंटित राशि
		06-अनुदान-48-अंशदान विपत्र कोड- 53S240500789480648
1	निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची	200000
कुल योग :		200000

मो0 दो लाख रु0 मात्र।

10 (3110)
16/12/2020
[Signature]

तीन लघु शीर्षों में कुल आवंटन दस लाख रु0 मात्र।

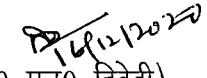
[Signature]

[Signature]

7. आवंटित राशि वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक 17/04/98, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि0, दिनांक 15/07/03 में निहित प्रावधान अन्तर्गत निकासी की जाए।
8. आवंटित राशि से अधिक अथवा अन्य मदों में व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय।
9. आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक अगले माह के 15 तारीख तक निदेशालय को अनिवार्य रूप उपलब्ध करावें।
10. कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर कोड/मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके।
11. राशि की निकासी एवं व्ययन के पूर्व पूरी तरह संतुष्ट हो लें कि कार्य की डुप्लीकेटिंग तो नहीं हो रही है।
12. स्वीकृत्यादेश एवं आवंटनादेश के निदेश का पालन किया जाए।
13. सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जाए। अंकेक्षण आपत्तियों, अंकेक्षण के दौरान प्राप्त प्रतिवेदन का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर करते हुए उसे Drop कराया जाए। साथ ही साथ प्रासंगिक मद की राशि की निकासी के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय पूर्व में इस मद में यदि कोई अंकेक्षण आपत्ति हो तो उसका निराकरण करा लिया गया है।

अनु0-ऑनलाईन आवंटन

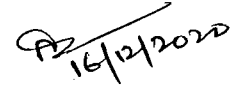
विश्वासभाजन


(एच0 एन0 द्विवेदी)

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 10 (अनु) मत्स्य/ राँची, दिनांक 14.12.2020

प्रतिलिपि कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, बजट शाखा, पशुपालन प्रभाग/प्रबंध निदेशक, झासकोफिश को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


16/12/2020

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक 10 (अनु) मत्स्य/राँची, दिनांक 16.12.2020

प्रतिलिपि संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/उपायुक्त/संयुक्त मत्स्य निदेशक/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।





16/12/2020

निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Agriculture, Animal Husbandry and Co-operative Department (Fishery Division)

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - iv/47/2020-21/10

दिनांक - 16-Dec-2020

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 53 240500101480648 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 101 - अन्तर्देशीय मछली-पालन 48 - ज्ञासको फिश को अनुदान 06 - अनुदान 48 - अंशदान State Scheme State Scheme : GRANTS-IN-AID TO JHASCOFISH(0568) Central Scheme : NA	65008	DRNFSH007 LIPIKA BANERJEE ASST DIR FISHRIES (TECH)	400,000.00 रुपये चार लाख
2	S 53 240500789480648 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 48 - ज्ञासको फिश को अनुदान 06 - अनुदान 48 - अंशदान State Scheme State Scheme : GRANTS-IN-AID TO JHASCOFISH(0568) Central Scheme : NA	65014	DRNFSH007 LIPIKA BANERJEE ASST DIR FISHRIES (TECH)	200,000.00 रुपये दो लाख
				600,000.00

योग:

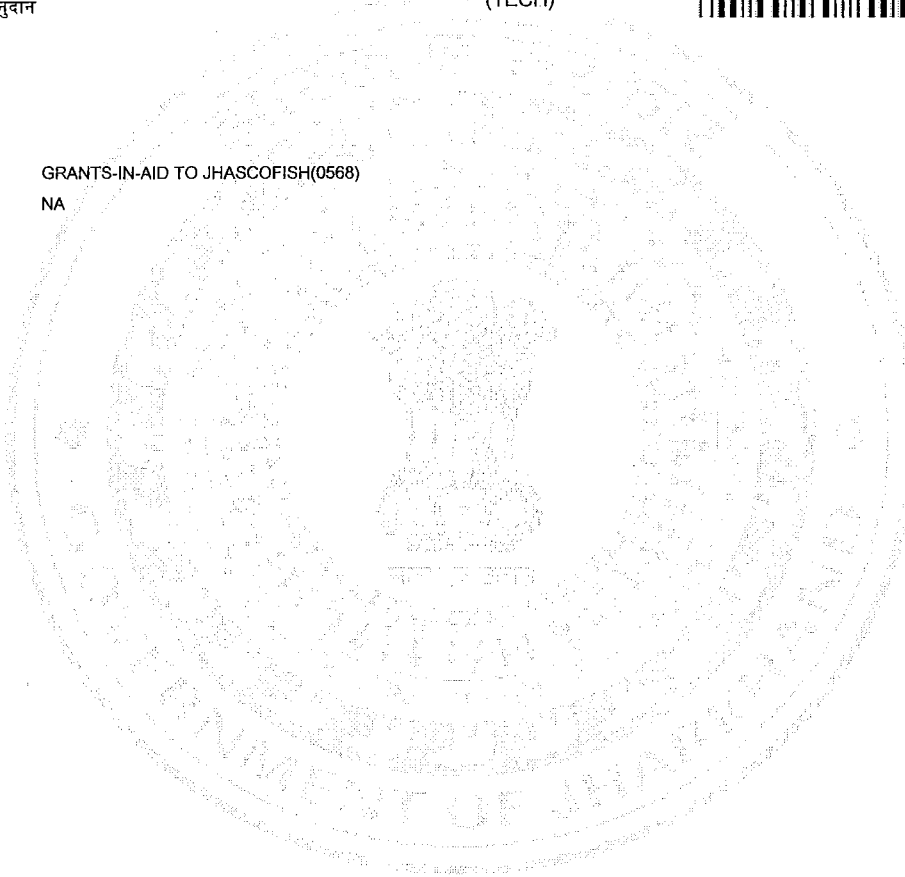
क्रमिक योग:

रुपये छः लाख

(H. N. DWIVEDI)

DIRECTOR FISHERIES

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
3	S 53 240500796480648 2405 - मछली-पालन 00 - मछली-पालन 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 48 - ज्ञासको फिश को अनुदान 06 - अनुदान 48 - अंशदान State Scheme State Scheme : Central Scheme :	65011	DRNFSH007 LIPIKA BANERJEE ASST DIR FISHERIES (TECH)	400,000.00 रुपये चार लाख
	GRANTS-IN-AID TO JHASCOFISH(0568) NA			



योग:

400,000.00

क्रमिक योग:

रुपये दस लाख

1,000,000.00

(H. N. DWIVEDI)

DIRECTOR FISHERIES

